भारत सरकार
खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3701

दिनांक 18.12.2024 को उत्तर देने के लिए

तेलंगाना में चूना पत्थर क्षेत्र को आरक्षित करना

†3701. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:

क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को तेलंगाना खनिज विकास निगम लिमिटेड के लिए विकाराबाद जिले में चूना पत्थर क्षेत्रों के आरक्षण के लिए तेलंगाना राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 17ए(2) और संबंधित धाराओं के तहत मार्च 2024 के दौरान प्रस्तुत इन प्रस्ताव की स्थिति क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव पर कार्रवाई में विलंब के क्या कारण हैं और इसके अनुमोदन की अपेक्षित समय-सीमा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने क्षेत्र के पिछड़े इलाकों पर इस प्रस्ताव के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर विचार किया है; और

(ङ) तेलंगाना में क्षेत्रीय विकास में सहायता करने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ङ): तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (टीएसएमडीसीएल) के पक्ष में तेलंगाना के विकाराबाद जिले में क्रमशः 680 हेक्टेयर और 753 हेक्टेयर क्षेत्र में चूना पत्थर ब्लॉकों के आरक्षण के लिए दिनांक 11.03.2024 को दो प्रस्ताव भेजे थे।

मंत्रालय में प्रस्तावों की जांच 2015 में एमएमडीआर अधिनियम में हुए संशोधन के आलोक में की गई, जिसके तहत खनिज रियायतों को देने के लिए नीलामी व्यवस्था शुरू की गई। तब से, विभिन्न राज्यों द्वारा चूना पत्थर और संबद्ध खनिजों के लिए खनन पट्टे या संयुक्त अनुज्ञप्ति के लिए

141 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई है। तथापि, तेलंगाना सरकार ने अभी तक किसी खनिज ब्लॉक की नीलामी नहीं की है।

तेलंगाना सरकार से उक्त खनिज ब्लॉकों को नीलामी हेतु अधिसूचित करने तथा टीएसएमडीसीएल को नीलामी में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया गया है। इन ब्लॉकों की नीलामी से चूना पत्थर का उत्पादन तथा परिणामी औद्योगिक कार्यकलाप शुरू होगा जिससे क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास होगा। इसके अतिरिक्त, खनिज ब्लॉकों की नीलामी से खनन क्षेत्र से राज्य सरकार के राजस्व तथा रोजगार में वृद्धि होगी।

*****